न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 30 / 2016 जिला सीकर

रिछपाल दास चेला श्री सुरजन दास, जाति स्वामी, निवासी ग्रम लखीपुरा (रघुनाथगढ) तहसील व जिला सीकर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. भू अभिलेख निरीक्षक, पीपराली, तहसील व जिला सीकर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर तहसील सीकर, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 1.6.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री पवन पारीक
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 1.6.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार :–

यह कि अपीलान्ट रिछपालदास ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पुराना खसरा संख्या 15/1 रकबा 3 बीघा वाके ग्रम रघुनाथगढ के वर्तमान खसरा संख्या 26 वाके वर्तमान राजस्व ग्रम लखीपुरा पुराना राजस्व ग्रम रघुनाथगढ जिला सीकर का क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड में 0.39 के स्थान पर 0.76 हैक्टेयर दर्ज किये जाने एवं नक्शा दुरूस्त किया जावे । अपीलान्ट के इस प्रार्थना पत्र पर उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 पारित कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रमाणित नहीं होने के कारण इस आधार पर खारिज किया कि नया खसरा नम्बर 26 व 30 दोनों का रकबा खसरा नम्बर 27 (सीकर से उदयपुरवाटी) रोड में जाने के कारण कम हुआ है । ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 26 व 30 दोनों का रकबा बढाया जाना सम्भव नहीं है । उप खण्ड अधिकारी सीकर के इस आदेश दिनांक 1.6.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त की जाकर उसके खाते में 0.76 हैक्टेयर भूमि अंकित की जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उसकी खातेदारी की भूमि ग्रम लखीपुरा , तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी गत खसरा नम्बर 15/1 रकबा 3 बीघा को द्वितीय भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान बीघा को हैक्टेयर प्रणाली में परिवर्तित करते समय भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश/सक्षम न्यायालय के आदेश के मिलान क्षेत्रफल में रकबा 0.39 हैक्टेयर अंकित कर दिया जबकि 3 बीघा का क्षेत्रफल 0.76 हैक्टेयर होता है । इस प्रकार 0.37 हैक्टेयर रकबा कम अंकित हुआ है जो एक लिपिकीय त्रुटी है जिसको दुरूस्त करने का अधिकार लैण्ड रिकार्ड आफीसर की हैसियत से उप खण्ड अधिकारी को है । उनका कहना था कि अन्य खसरा नम्बर 30 रकबा 1.70 हैक्टेयर जो साबिक खसरा नम्बर 15/2 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा (2.01 हैक्टेयर) से बना है जिसका रकबा 0.32 हैक्टेयर कम दर्ज हुआ है एवं खसरा नम्बर 27 मिन 0.68 हैक्टेयर खसरा नम्बर 15/1 व 15/2 से बना है । तहसीलदार ने रिपोर्ट मे रकबा सडक में शामिल होने के कारण कम होना मानते हुये खसरा नम्बर 26 व 30 का रकबा बढाया जाना सम्भव नहीं होना अंकित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड व रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना मात्र सरसरी

तौर पर प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की आराजी का 0.37 हैक्टेयर कम हुये रकबे को बढाते हुये 0.76 हैक्टेयर दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे । उनके द्वारा कानूनी दृष्टान्त आर.आर.डी. 2016 पेज 102, 2015 (2) आर.आर.टी. पेज 961, 2012 (2) आर.आर.टी. पेज 814, 2013 (1) आर.आर.टी. पेज 391, 2002 (2) आर.आर.टी. 783 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार सीकर ने अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 26 साबिक खसरा नम्बर 15/1 रकबा 3 बीघा यानी 0.76 हैक्टेयर होना एवं 0.37 हैक्टेयर रकबा खसरा नम्बर 27 (सीकर–उदयपुरवाटी रोड) में जाने के कारण कम होना अंकित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे अपीलान्ट का रकबा रोड में जाने के कारण बढाया जाना सम्भव नहीं होना मानते हुये प्रार्थना पत्र धारा 136 प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया । प्रकरण में अपीलान्ट भूमि ग्रम लखीपुरा , तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी गत खसरा नम्बर 15/1 रकबा 3 बीघा के भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान बीघा को हैक्टेयर प्रणाली में परिवर्तित करते समय वर्तमान खसरा नम्बर 26 रकबा 3 बीघा (0.76) हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.39 हैक्टेयर दर्ज कर देने से कम हुये रकबा 0.37 हैक्टेयर को दुरूस्त कराने का विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में खसरा नम्बर 26 एवं खसरा नम्बर 30 दोनों का रकबा खसरा नम्बर 27 (सीकर–उदयपुरवाटी रोड) में जाने के कारण कम होना बताते हुय रकबा बढाया जाना सम्भव नहीं होना अंकित किया है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2016 द्वारा खसरा नम्बर 26 व 30 दोनों का रकबा खसरा नम्बर 27 (सीकर से उदयपुरवाटी) रोड में जाने के कारण कम होना मानते हुये रकबा बढाया जाना सम्भव नहीं होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट खारिज किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 1.6.2016 उचित एवं विधिसम्यक है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 1.6.2016 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर